

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 229/2020 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

टाटा कंपनी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड

पता एल/जी, दी गुमान फर्स्ट, आमपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान जरिये प्राधिकृत
अधिकारी श्री शरद पुरोहित।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. संदीप सोनी
 - 1.पता-फ्लैट नं. एफ-1, फर्स्ट फ्लोर, स्थित प्लॉट नं. ए 108, ग्राम लालचन्दपुरा, निवारू, झोटवाडा जयपुर ।
 - 2.प्लॉट नं. 3, भीम नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर
 - 3.मकान नम्बर/सर्वे नम्बर 6, ग्रीन एवेन्यु कालेज रोड, अबोहर प्राची धाम कालोनी, दयाल बाग, जगनपुरा, जिला फिरोजापुर, पंजाब एवं
 4. मैसर्स जागृति ज्वलर्स प्लॉट नं. 3, भीम नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर
2. राम प्रताप सोनी
 - 1.पता-फ्लैट नं. एफ-1, फर्स्ट फ्लोर, स्थित प्लॉट नं. ए 108, ग्राम लालचन्दपुरा, निवारू, झोटवाडा जयपुर ।
 - 2.प्लॉट नं. 3, भीम नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर
 - 3.मैसर्स सुनार की दुकान, प्लॉट नम्बर -174, मित्र नगर, खिरनी फाटक, झोटवाडा, जयपुर ।
3. श्रीमती सोनम सोनी
 - 1.पता-फ्लैट नं. एफ-1, फर्स्ट फ्लोर, स्थित प्लॉट नं. ए 108, ग्राम लालचन्दपुरा, निवारू, झोटवाडा जयपुर ।
 - 2.प्लॉट नं. 3, भीम नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर

अप्रार्थीगण ऋणी



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :-

1. श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 15.02.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.06.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी सोनम सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय फ्लैट/अपार्टमेंट फ्लैट नम्बर ए-1, फर्स्ट फ्लोर, स्थित प्लॉट नं. ए 108, ग्राम लालचन्दपुरा, निवारू, झोटवाडा जयपुर क्षेत्रफल सुपर विन्टअप एरिया 900 वर्गफिट को बन्धक रख कर 15,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

ऋणी को दिनांक 27.01.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दरतावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर, 2015 के क्रम संख्या 37 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 15,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 14,42,024/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 27.01.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सोनम सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय फ्लैट अपार्टमेन्ट फ्लैट नम्बर ए-1, फर्स्ट फ्लोर, स्थित प्लॉट नं. ए 108, ग्राम लालचन्दपुरा, निवारू, झोटवाडा जयपुर क्षेत्रफल सुपर विल्टअप एरिया 900 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपयुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।
8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
9. आदेश आज दिनांक 15.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



15/2/21
(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला नजिर
(कलक्टर) जयपुर